कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर(छ0ग0)

दूरभाष :– 07781–252288, फैक्स 07781–252287 Email: zp-narayanpur.cg@nic.in

// नीलामी सूचना //

कमांक / 2518 / जि0पं0 / लेखा0 / 2020–21 नारायणपुर, दिनांक : 12 / 06 / 2020

सर्व जन साधारण को सूचित किया जाता है कि सूची में उल्लेखित जिला पंचायत नारायणपुर के निष्प्रयोजित घोषित चालू हालत शासकीय वाहन की नीलामी खुली बोली पद्वति से निम्न शर्तो के अधीन दिनांक 27/06/2020 को पूर्वान्ह 12.00 बजे किया जाना है।

क	विभाग का नाम	वाहन कमांक	वाहन का मॉडल	न्यूनतम निर्धारित मूल्य	नीलामी स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	जिला पंचायत नारायणपुर	CG-02 4955	2012 एम्बेसड़र	35000 / –	कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर

–:: विज्ञाप्ति की शर्ते ::–

1. नीलामी में उच्चतम बोली कर्ता द्वारा लगाई गई बोली की राशि स्वीकृति करने पर तभी विचार किया जायेगा, जब उच्चतम बोली की राशि न्यूनतम निर्धारित मूल्य रुपये 35000 / – (पैतिस हजार मात्र) से अधिक होगी। नीलामी की बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता का होगा।
2. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् उच्चतम बोली कर्ता को सम्बंधित कार्यालय से वाहन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उठाना होगा।
3. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन की राशि एक सप्ताह के भीतर एकमुश्त चैक / नगद के माध्यम से इस कार्यालय के लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात् ही वाहन दिया जावेंगा।
4. उच्चतम बोली कर्ता के द्वारा नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर एकमुश्त राशि चैक / नगद के माध्यम से जमा नही करने की स्थिति में संबंधित द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर, दूसरे व तीसरे उच्चतम बोली कर्ता को वाहन केता माना लिया जायेगा।
5. नीलामी में अभिरुचि रखने वाले को रुपयें 2500.00 नगद राशि अमानत के बतौर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् ही नीलामी बोली में भाग लेने हेतु पात्र होगा। अमानत राशि जमा करने वाला स्वयं अथवा उसकी ओर से विधिवत् अधिकृत व्यक्ति ही नीलामी की बोली लगाने में भाग ले सकता है, अन्य व्यक्ति द्वारा लगाई बोली कार्यालय द्वारा अमान्य की जावेंगी।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन का पंजीयन व अन्य आवश्यक कार्यवाही सम्बंधित उच्चतम बोली कर्ता को कराना होगा।
7. सशर्त नीलामी पर विचार नही किया जावेंगा।
8. नीलामी में बोली लगाने वाले अस्वीकृत कर्ता की जमा अमानत राशि को वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
9. नीलामी द्वारा विकय किये जाने वाले वाहन के उच्चतम बोली की स्वीकृति राशि पर 4 प्रतिशत विकय कर लगाया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–नारायणपुर

PRO